



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-21-01-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त राकेश केशरी को एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि की सजा तथा कुल 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 140/2024, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश केशरी पुत्र स्व0 रामलाल निवासी- कमेनाशा, थाना-दुर्गावती कैमूर बिहार हाल पता- रामनगर चौराहा हनुमान मन्दिर के पास थाना-रामनगर वाराणसी को थाना-भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 21.01.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त राकेश केशरी उपरोक्त धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी